हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/4/25	पत्रावली आज पेशी में ली गई। प्रार्थिया की एक पक्षीय सुनवाई कर न्यायालय हाजा द्वारा दिनां० 10/10/24 को स्थगनादेश पारित कर चक 5 LK खाता सं. 17/26 व 29/25 में रिकॉर्ड यथास्थिति का स्थगन जारी कर आगामी तारीख नियत की गई। अप्रार्थीगण को तलबी जारी की गई। अप्रार्थी नं. 3 हाजिर व वकालतनामा अधिवक्ता श्री रामकुमार जुल्पां द्वारा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र आपत्ति का पेश कर जारी स्थगनादेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र में बहस उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। इस प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्णित करना आवश्यक समझते है:- प्रथम दृष्टया मामला:- पत्रावली में संलग्न जमाबंदी प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया प्रार्थीया का चक 5LK खाता सं. 17/26 में 185/4668 हिस्सा व खाता सं. 29/25 में 47/1100 हिस्सा दर्ज है व शेष आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र की दफा 6 में अपनी विशिष्ट भूमि को दर्शाया है जबकि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि है व संयुक्त खाता भूमि में प्रत्येक [illegible] पर प्रत्येक खातेदार का अधिकार है [illegible] विभाजनात्मक डिक्री जारी नहीं [illegible] के अलावा प्रार्थीया अपने हक व हिस्सा तक भूमि की उपयोग व उपभोग की अधिकारिणी है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में दावा अन्तर्गत 53, 88 RTA विचाराधीन है जिसमें उभयपक्षों के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 17:35:46 IST
Reason: SelfAttested

हक व हिस्सों का निर्धारण होना है। अतः उक्त दोनों खातों में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति:- चूंकि प्रार्थिया व अप्रार्थीगण अभिलिखित सहकाश्तकार है और प्रार्थिया को अपने हक व हिस्से तक उपयोग व उपभोग का अधिकार है स्थगन जारी रहने से न्यायालय के विनम्र अभिमत में अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

सुविधा का संतुलन:- चूंकि प्रार्थिया व अप्रार्थीगण अभिलिखित सह-काश्तकार है तथा स्थगन प्रभावी होने की स्थिति में अप्रार्थीगण लेन, आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है

चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व अपूर्णीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में साबित नहीं होते है इसलिए न्यायालय हाजा द्वारा जारी एकपक्षीय स्थगनादेश दिनांक 10.10.2024 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली शामिल दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 17:35:46 IST
Reason: SelfAttested